

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

मजिस्ट्रेट (FI), जोधपुर

2023/532
CNR NUMBER

Number of Case

C/16/ Year 2023

पत्रावली नं ३०७५ Versus लीला देवी नं ३०७५
U/s- 39(1) & (2) CPC

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of case of the Case
02/07/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी / पत्रावली वाफे तलबे रिपोर्ट इतनाप देतु आदेश दिनांक 22/07/25 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (मजिस्ट्रेट) जोधपुर</p>	
22/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी अपन अधार्थी सं. 1 से 4 की तलबी हेतु भेजे गये नोटिस की प्रेषण का एक रसीद मूलवाद में संलग्न है। बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं आए। न्यायादित में उपस्थिति हेतु एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली कर्त अधार्थीगण उपस्थिति हेतु आदेश दिनांक 28/7/2025 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (मजिस्ट्रेट) जोधपुर</p>	
28/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। पत्र सं. अधार्थी सं. 1 से 3 आदि दिनांक को भी उपस्थित नहीं आया। कर सं. सं. सं. आवाजे इतनाप ही। बावजूद अनुपस्थित रहे। अतः अधार्थी सं. 1 से 3 के विरुद्ध एडवोकेट न्यायाधीश की पार्थी है अधार्थी सं. 4</p>	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

CNR NUMBER 2023/532

Number of Case C/16/ Year 2023

जवाहीर लाल शर्मा Versus लीला देवी व शम्भु
U/S- 39 (1) & (2) 151 CPC

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
--	---------------------------------------

जवाब प्र.पत्र पेश नहीं करना-चाहते/अतः
इसका जवाब वरिष्ठ दिमा जाता है।
वरील प्रार्थी कहल प्र.पत्र हेतु न्याया
द्वारा कहल वरील प्रार्थी प्र.पत्र अन्तर्गत
039 ए व 2 र/म सु 151 प्र.पत्र
अन्तर्गत है।

पत्रावली का अवलोकन दिमा
जाता है। वरिष्ठ पर पत्र दिमा जाता है।
वरील प्रार्थी द्वारा आरोपित आरोपिका
दिनांक 29/7/22 को जारी अंतर्दि
अन्तर्दि निषेधाज्ञा नार्किलना प्रल
वाप पुरवना दिमा जाने का निर्देशन
दिमा जाता है। आरोपिका के अवलोकन
के अंतर्गत है। प्रार्थी के प्र.पत्र
का निष्कर्ष/नोटिफिकेशन खण्ड नहीं
है। अतः प्रार्थी का प्र.पत्र
आरोपिका दिनांक 29/7/22 को जारी
अंतर्दि अन्तर्दि निषेधाज्ञा को नार्किलना
प्रल वाप पुरवना करते हुए निष्कारित
दिमा जाता है। पत्रावली फिलहाल
शुद्ध होकर नक्कल के अंतर्गत
आरोपिका दिमा है।

सहायक कलक्टर
(मजिस्ट्रेट) जोधपुर

